न्यायालय सिविल जज जू0डि0, खलीलाबाद स्थान– बस्ती
मूलवाद सं0 226/2009
दूधनाथ बनाम राजेन्द्र

16.05.2019

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 38क2 पर सुना–

प्रार्थनापत्र 38क2 वादी द्वारा इस आशय का दिया गया है कि उपरोक्त वाद में टाईपिंग की गलती से सही नाम रामनरायन के स्थान पर रामशब्द दर्ज हो गया है, जिसे जरिए संशोधन वादपत्र में दुरूस्त करने की अनुमति दिया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रार्थनापत्र पर आपत्ति करने हेतु प्रतिवादी उपस्थित नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि प्रार्थना पत्र 38क2 वादी द्वारा, वादपत्र में संशोधन करने के आशय से दिया गया है। प्रार्थना पत्र शपथपत्र से समर्थित है। चाहा गया संशोधन औपचारिक प्रकृति का है। संशोधन प्रार्थनापत्र के स्वीकार किए जाने से वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, न ही कोई नया केस सेटअप होगा, बल्कि वाद बाहुल्यता कम होगी। अतः न्यायालय की राय में प्रार्थनापत्र 38क2 न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 38क2 स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते एकपक्षीस बहस दिनांक 03.08.2019 को पेश हो।

सिविल जज जू0डि0,
खलीलाबाद स्थान–बस्ती